कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/आवंटन/2014/1802–5/II/2660-2697 दिनांक :: 12- मार्च, 2015

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 11 मार्च, 2015 को सांय 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 4 फरवरी, 2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 4 फरवरी, 2015 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः कार्यवाही की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 4 फरवरी, 2015 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम बासनी बैंदा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 18, रकबा 36–08 बीघा, किस्म गैर मुमकिन बाला भूमि नगर निगम, जोधपुर को सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के निर्माण हेतु आवंटन बाबत्।

ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 20, रकबा 32–12 बीघा निजी खातेदारी की भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत् राजस्थान राजपत्र दिनांक 10/07/13 में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त सूचना प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष 8 माह का समय हो चुका है। धारा 6 की अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर ने अपने पत्रांक 18338, दिनांक 16/02/15 के द्वारा ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 18, 20 व 21 की कुल रकबा 48 बीघा में से 36 बीघा भूमि नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरण करने करने की मांग की है।

ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 18, रकबा 36–08 बीघा किस्म गैर मुमकिन बाला भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लांट हेतु नगर निगम, जोधपुर को आवंटित करने पर विचार हेतु प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत है। भूमि की किस्म परिवर्तन एवं भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही नगर निगम, जोधपुर को अपने स्तर पर नियमानुसार करवानी होंगी।

नगर निगम, जोधपुर के आवेदन के क्रम में पूर्व में अवाप्ति हेतु अधिसूचित ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 20, रकबा 32–12 बीघा निजी खातेदारों की भूमि अवाप्त मुक्त करने एवं नगर निगम, जोधपुर को एस.टी.पी. निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी बनाने हेतु राज्य सरकार को लिखा जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार आवश्यकतानुसार भूमि की किस्म परिवर्तन एवं भू–उपयोग परिवर्तन करवाने की शर्त पर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु एवं नगर निगम, जोधपुर को एस.टी.पी. निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी बनाने एवं यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो नगर निगम अपने स्तर पर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करेगी की संस्तुति के साथ राज्य सरकार को अनुशंषा सहित प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: पैनल/ सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में।

निम्नलिखित अधिवक्ताओं के आवेदन–पत्र प्राधिकरण में पैनल/ सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु प्राप्त हुए हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1– श्री विकास फोफलिया – पैनल अधिवक्ता
2– श्री मनोज भण्डारी – पैनल अधिवक्ता
3– श्री कनिष्का गुप्ता – राज्य सूचना आयोग, जयपुर हेतु
4– श्री हनिष माथुर – राज्य सूचना आयोग, जयपुर हेतु
5– श्री बालकिशन शर्मा – राज्य सूचना आयोग, जयपुर
6– श्री विजयराज कल्ला – पैनल अधिवक्ता

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.42/विधि/ जेडीए/ 170/ 15 दिनांक 2 मार्च, 2016 द्वारा प्राधिकरण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु श्री ओम प्रकाश चौधरी एवं श्री उमेश मेवाडा की नियुक्ति कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा के अधीन की गयी है।

अतः प्रकरण श्री विकास फोफलिया, श्री मनोज भण्डारी एवं श्री विजयराज कल्ला अधिवक्ता की पैनल अधिवक्ता के रूप में, श्री कनिष्ठ गुप्ता, श्री हनिष माथुर एवं श्री बालकिशन शर्मा अधिवक्ता का राज्य सूचना आयोग, जयपुर में प्राधिकरण की ओर से प्रभावी पैरवी करने हेतु पैनल बनाये जाने एवं इस कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 2 मार्च, 2016 द्वारा श्री ओम प्रकाश चौधरी एवं श्री उमेश मेवाड़ा की नियुक्ति की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार श्री विकास फोफलिया, श्री मनोज भण्डारी एवं श्री विजयराज कल्ला अधिवक्ता की पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने, श्री कनिष्क गुप्ता, श्री हनिष माथुर एवं श्री बालकिशन शर्मा अधिवक्ता का राज्य सूचना आयोग, जयपुर में प्राधिकरण की ओर से प्रभावी पैरवी करने हेतु पैनल बनाये जाने एवं इस कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 2 मार्च, 2016 द्वारा श्री ओम प्रकाश चौधरी एवं श्री उमेश मेवाड़ा की नियुक्ति की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोन पूर्व में वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाये जाने वाले निम्नलिखित कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती हेतु प्रस्ताव।

क. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	विशेष विवरण
01	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध के तहत्) वर्ष 2015–2016 हेतु	30.00	जोविप्रा कार्यालय में फोटो कॉपी कार्य आवश्यकतानुसार करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
02	जोधपुर विकास प्राधिकरण	70.00	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय

2

	कार्यालय भवन तथा विभिन्न आवासीय भवनों में मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य (वार्षिक अनुबन्ध के तहत्) वर्ष 2015–2016 हेतु		भवन तथा विभिन्न आवासीय भवनों में मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य आवश्यकतानुसार करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
03	जोधपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्युटर मय ऑपरेटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध के तहत्) वर्ष 2015–2016 हेतु।	70.00	जोधपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्युटर मय ऑपरेटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाने का कार्य आवश्यकतानुसार करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
04	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रेस्को से भूतपूर्व सैनिक तथा जोधपुर पूर्व सैनिक बहुउद्देशिय सहकारी समिति लिमिटेड से सिविलियन लेने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (वार्षिक अनुबन्ध)	90.00	जोधपुर विकास प्राधिकरण सुरक्षा गार्डो से कार्यालय एवं बरकत उल्लाह ख़ान स्टेडियम एवं अन्य भवनों की सुरक्षा हेतु कार्य लिया जाता है साथ ही कार्यालय में कार्य करवाने हेतु अन्य कर्मिक कार्यरत् है जिनका वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर भुगतान किया जाता है। एवं कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
05	गौरव पथ मरम्मत कार्य ऑफिसर मैस से रिक्तियां भैरू जी तक कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	48.00	उक्त कार्य की स्वीकृति वांछनीय है उक्त कार्य वाषिक अनुबंध से कराया जाना उचित रहेगा ताकि समय समय पर असमाजिक एंव दर्धटना वश क्षत्रिग्रस्त कार्य को टीक कराया जा सके। अतः रू. 48. 00 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 1 पर वर्णित राशि 30.00 लाख के स्थान पर 15.00 रूपये करते हुए शेष समस्त प्रकरण क्रम संख्या 2 से 5 में वर्णित अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कार्यालय में कम्प्यूटर प्राधिकरण के स्वयं के लगाये जाने की कार्यवाही की जावे तथा यह भी निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर प्राधिकरण में पदस्थापित एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक) की अनुशंषा पर ही लगाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: विधायक मद के कार्यों में टेण्डर प्रिमियम के कारण बढी राशि को जेडीए मद से स्वीकृति बाबत।

प्राधिकरण के अधीन, सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में विधायक मद से स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। संलग्न सूचि अनुसार इन कार्यो में टेण्डर प्रिमियम Above होने के कारण राशि की बढोतरी हुई है। पूर्व में जिला परिषद् की बैठक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में

2

दिनांक 18.07.2006 को हुई थी। उनकी बैठक कार्यवाही विवरण (संलग्न प्रपत्र) अनुसार, टेण्डर प्रिमियम के अधिक दरों के लिए विचार विमर्श पश्चात् निर्णय हुआ कि अधिक टेण्डर प्रिमियम की राशि अपने स्तर पर ही वहन करने की स्वीकृति दी है। टेण्डर प्रिमियम के 8 कार्यो की सूची निम्नानुसार हैं :–

क. स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध सख्या	विधायक मद से स्वीकृत राशि (लाखों में)	जेडीए मद से स्वीकृत राशि (लाखों में)	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)	टेन्डर प्रिमीयम	कार्यादेश राशि (लाखों में)	टेन्डर प्रिमीयम के कारण बड़ी हुई राशि (लाखों में)
1	श्री महालक्ष्मी सीनियर स्कूल प्रताप नगर में कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य।	f38(97)/ 2013-14 zone west	10.00	0.00	10.00	12.25 % above	1074436.00	74436.00
2	चौहाबो सेक्टर 14 मे सरकारी विघालय के पास सार्वजनिक पार्क के पास सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण कार्य।	f38(252)/ 2012-13 zone west	10.00	0.00	10.00	34% above	1319982.00	319982.00
3	वार्ड सं. 21 में श्री जब्रेश्वर माहादेव मन्दिर के पास बने सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर सार्वजनिक वाचनालय का निमार्ण कार्य।	f38(124)/ 2013-14 zone south B	5.00	15.00	20.00	45.51% above	2786779.00	786779.00
4	सूथला गजानन्द कॉलानी में वैष्णी देवी माँ मन्दिर के पास सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण कार्य।	f38(153)/ 2013-14 zone HQ	5.00	0.00	5.00	5% above	524907.00	24907.00
5	सूथला देवीदान नगर के नील कण्ड महादेव के पास सार्वजनिक पर सार्वजनिक साल का निर्माण कार्य।	f38(154)/ 2013-14 zone HQ	5.00	0.00	5.00	4.87% above	524257.00	24257.00
6	रा.उ.मा.वि. प्रताप नगर में वाणिज्य संकाय हेतु दो लेक्चर कक्ष का निर्माण कार्य।	f38(227)/ 2013-14 zone HQ	10.00	10.87	20.87	27.86% above	2668248.00	581397.00
7	ब्रहम्पुरी में स्थित नालेश्वर महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय निर्माण कार्य।	f38(196)/ 2013-14 zone HQ	10.00	10.20	20.20	60% above	2691416.00	671416.00
8	फुल्लेराव रोड़ पर व्यास पार्क के पास स्थित हरीश जोशी सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय निर्माण कार्य।	f38(217)/ 2013-14 zone HQ	5.00	16.75	21.75	7.86% above	2343472.00	168472.00
योग			**60.00**	**52.82**	**112.82**		**13933497.00**	**2651646.00**

2

उक्त 8 कार्यो की टेण्डर प्रिमियम के कारण राशि बढ रही है। अतः रूपये 26,51,646.00 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: विद्युत शाखा के वार्षिक दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं चालू दर संविदा कार्यो की समयावधि एवं राशि बढाने के संबंध में।

दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले निम्न कार्यो की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। निम्न 10 कार्यो की वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार निविदाऐं जारी की गई थी। लेकिन निविदाऐं स्वीकृत नहीं होने के कारण समय सीमा नई निविदा कर कार्यादेश जारी करने तक आयुक्त महोदय द्वारा बढाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। रख रखाव कार्य प्रतिदिन कार्यालय में जारी है। उक्त कार्यो की दर संविदा समाप्त करने से पूर्व नया कार्यादेश दिया जाना आवश्यक है। अतः निम्न कार्यो की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जारी की गई प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति में से व्यय करने तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित राशि की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने एवं नई निविदा जारी कर नया कार्यादेश देने तक चालू दर संविदाओं की समयावधि बढाने की स्वीकृति हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि (लाखो में)
1	प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण भवन में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये कार्य जैसे की वायरिंग, नये पंखे, लाईट आदि मांग के अनुसार लगाने कार्य।	20.00
2	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानो पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एवं आवश्यतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य।	15.00
3	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार माईक व्यवस्था करने बाबत्।	10.00
4	प्राधिकरण कार्यालय में लगे 250 के.वी.ए. एवं 63 के.वी.ए. जनरेटर की देखरेख व संचालन का कार्य।	5.00
5	कार्यालय भवनो, बरकतुल्लाह खां स्टेडियम तथा शास्त्री सर्कल पर लगी पानी की मोटरो को रिपेयर करना तथा आवश्यकतानुसार सामान लगाने का कार्य।	4.00
6	ए.सी का कार्य वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत करवाने जाने हेतु।	8.00
7	किराये पर कुलर लगाने एवं ऑफिस के लगे कुलर की मरम्मत एवं देखरेख मय पानी भरनेका खर्चा तथा वाटर कुलर की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये वाटर कुलर लगाने का कार्य।	9.00
8	ऑफिस में लगे इन्वर्टर एवं तथा उनकी बैटरीये का वार्षिक देखरेख एवं रख रखाव करने का कार्य।	4.00
9	प्राधिकरण कार्यालय में लगे इन्टरकॉम संचालन, एवमं रख रखाव का कार्य।	5.00

2

10	जोधपुर विकास प्राधिकरण शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारे एवं म्युजिकल फव्वारे का रख रखाव एवं सुरक्षा करने का कार्य।	30.00

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण हेतु वर्ष 2015–16 की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति बाबत्।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015–16 जारी करने हेतु निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत हैः–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न तरह के आयोजनो में टेन्ट व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था करने का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	30.00 लाख	
2.	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न कार्यक्रमों की फोटो ग्राफी / विडियोग्राफी का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	12.00 लाख	
3.	जोधपुर विकास प्राधिकरण में निलामी तथा अन्य कार्यों के फलेक्स बनाकर लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	10.00 लाख	
4.	जोधपुर विकास प्राधिकरण में कार्यालय उपयोग हेतु प्रिन्टिंग सामग्री के वार्षिक अनुबन्ध पर क्रय करने बाबत। (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	20.00 लाख	
5.	जोधपुर विकास प्राधिकरण में कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री के वार्षिक अनुबन्ध पर क्रय करने बाबत। (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	20.00 लाख	
6.	बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में विभिन्न संधारण कार्य (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	40.00 लाख	
7.	जिला कलक्टर जोधपुर के स्थित पीबीएक्स पर कार्यरत स्वयं सेवको को मानदेय भुगतान बाबत्। वर्ष 14–15 हेतु – 50,000/– वर्ष 15–16 हेतु – 1,20,000/–	1.70 लाख	
8.	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय बाबत्। (वार्षिक अनुबन्ध वर्ष 15–16 के तहत)	40.00 लाख	

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 1 से 8 में वर्णित कार्यों की वर्ष 2015–16 हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: गौकुलधाम बड़ली योजना के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में पशुपालकों/डेयरी व्यवसाईयों को ग्राम बडली में गौकुलधाम योजना में शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल कन्टेम्प्ट पिटीशन संख्या 653/2011 विचाराधीन है।

राजस्थान नगर सुधार (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 17 में दिये गये प्रावधान अनुसार एक और ले–आऊट प्लान विकल्प के तौर पर तैयार किया जावे। मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति के पदाधिकारियों के साथ प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 27 फरवरी, 2015, 28 फरवरी, 2015 एवं 2 मार्च, 2015 को बैठक आयोजित की जाकर विचार विमर्श किया गया है। जिसमें मिल्कमैन संघ के पदाधिकारियों का सुझाव था कि कुछ भूखण्डों का आकार बड़ा रखे।

राजस्थान नगर सुधार (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 17 निम्नानुसार है:–

> 17. Allotment of Residential plots at concessional rates, procedure, categories, priority, plot size, price, recoveries etc.
>
> (4) Plot size and price - The size of the plot and price to be charged from various categories of people entitiled for allotment under these rules shall be in accordance with the Schedule attached to these rules.

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में गौकुल धाम योजना के अनुमोदित ले–आऊट प्लान के स्थान पर अब नये सिरे से विद्यमान राजस्थान नगर सुधार (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 17 एवं वर्तमान टाऊनशिप पॉलिसी के अनुसार नया प्रस्ताव बनाया जाकर ले–आऊट प्लान का अनुमोदन किया जावे ताकि आवेदक डेयरी व्यवसाईयों को आय अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जा सके।

प्रस्ताव संख्या 9 :: कुडी भगतासनी पुलिस थाना भवन के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

पुलिस विभाग द्वारा कुडी भगतासनी पुलिस थाना भवन हेतु 4000 वर्ग मीटर जमीन निःशुल्क आवंटन की मांग की है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर ने ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 213 में स्थित कर्मचारी आवास कॉलोनी में ओ.सी.एफ./ फेसिलिटी के तहत उपलब्ध भूमि में से पुलिस थाना कुडी भगतासनी के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय परिसर निर्माण हेतु 4,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–आयोजना ने अभिमत प्रकट किया कि पुलिस थाना हेतु ओ.सी.एफ. में भूमि दी जा सकती है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से बाद विचार विमर्श प्रस्तावानुसार ओ.सी.एफ. भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 2090 वर्ग मीटर होना अवगत कराया गया है, किसी अन्य संस्था को यदि आवंटन नहीं किया गया है, तो निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर में बंदी खुला शिविर हेतु भवन की आवश्यकता बाबत।

नगर विकास न्यास, जोधपुर (जो. वि. प्रा.) द्वारा वर्ष 2002 में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बासनी तम्बोलिया में स्वच्छकारों को हुडको निर्मित आवास गृहो की लॉटरी निकाली गई थी । लेकिन किसी कारणवंश स्वच्छकारों द्वारा आवंटित आवासो की राशि जमा नहीं कराई गई । इस योजना के अन्तर्गत कुल ई. डब्लू. एस/एल. आई. जी. के 507 आवासो का निर्माण किया गया । न्यास द्वारा इस योजना में 67 आवास नीलामी द्वारा विक्रय किये गये । वर्ष 2008–09 में 200 आवासो की गृहो की लॉटरी निकाली गई जो 120 मासिक किश्तो पर दिये गये थे जिसमें से 173 आवास आवंटित किये है । नीलामी व आवंटित आवास गृह कोई निश्चित क्रम में नहीं है शेष 267 आवास भी क्रमबद्व नहीं है राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–12) विभाग, शासन उप सचिव, का पत्र क्रमांक प. 8 (13) गृत–12/का रा/2014 जयपुर दिनांक 20.01.2015 का प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार जोधपुर में बंदी खुला शिविर हेतु उक्त आवासो की उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है । प्रकरण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में भिजवाने पर उप शासन सचिव प्रथम का पत्रांक पं. 8 (13) गृह12/कारा/2014 दिनांक 20 जनवरी 2015 प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त रिक्त आवासो को बंदी खुला शिविर हेतु उपलब्ध करवाने हेतु प्राधिकरण की सहमति की मॉग की गई है ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त आवासगृहों में से काफी आवासगृह तत्कालीन नगर विकास न्यास/प्राधिकरण द्वारा आवंटन किये गये हैं। जो छितराये (Scattered) रूप में अवस्थित है। एक पूरा ब्लॉक आवंटन से शेष रहे आवासगृहों का उपलब्ध नहीं है, जो कि खुला बंदी शिविर हेतु आवंटित किया जा सके। अतः विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कि आवंटित गृहों तथा निलामी में लिये गये गृहों के बीच बीच खाली गृह है, ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से खुली जेल के लए यह गृह देना उपयुक्त नहीं रहेगा। फिर भी यदि राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो तद्नुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रस्ताव संख्या 11 :: नीलामी हेतु समाचार पत्रों में सीधे प्रकाशित विज्ञापनों का अनुमोदन हेतु।

आवासीय व व्यवसायिक भूखण्डों व दुकानों की नीलामी हेतु निम्न विवरण अनुसार राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से मासिक नीलामी कार्यक्रमों के विज्ञापन राजस्थान संवाद के बजाय सीधे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गये।

क्र. स.	माह	पत्र क्रमाक	दिनांक	नीलामी कार्यक्रम अवधि
1	नवम्बर 2014	353	16.10.2014	दि. 13.11.2014 से 19.11.2014 तक
2	दिसम्बर 2014	376	03.12.2014	दि. 17.12.2014 से 23.12.2014 तक
3	जनवरी 2015	377	03.12.2014	दि. 05.01.2015
4	सशोधित कार्यक्रम माह	381	04.12.2014	दि. 29.12.2014 से 02.01.2015 तक

2

	दिसम्बर 2014 व जनवरी 2015			
5	जनवरी 2015	454	26.12.2014	दि. 19.01.2015 से 27.01.2015 तक
6	मार्च 2015	499	19.02.2015	दि. 16.03.2015 से 25.03.2015 तक

उपरोक्तानुसार आयुक्त महोदय की सहमति से सीधे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों का अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया साथ ही भविष्य में राजस्थान संवाद के माध्यम से ही विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: प्राधिकरण में ई–ऑक्सन लागू करने के संबंध में।

नीलामी द्वारा भूमि निष्पादन की प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक के समावेश के प्रयोजन से जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर ई–आक्सन प्रणाली एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपनायी जानी प्रस्तावित है इस दौरान इस विकल्प पर प्रारम्भिक विचार विमर्श भी हुआ है।

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय, जेडीए के साथ विभिन्न बैठको में हुऐ विचार विमर्श उपरान्त तय किया गया था कि प्राधिकरण में जेडीए जयपुर की तर्ज पर हो ई–आक्सन की प्रक्रिया शुरू की जावे। इस संबंध में आईसीआईसीआई बैक की तरफ से E-auction हेतु एक प्रस्ताव (JDA Jaipur में चल रहे अनुसार) आया है। जिसमे ई–आक्सन की पूर्ण प्रक्रिया को बैक, निशुल्क प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा। जेडीए जयपुर में ई–आक्सन पहले से ही शुरू की जा चुकी है। वहा के नियमानुसार जो कोई इसमें भाग लेना चाहता है। इच्छुक व्यक्ति 1 महिने, 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिऐ ऑनलाईन निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्टर्ड हो सकता है। जब भी ई–आक्सन आयोजित की जायेगी, रजिस्टर्ड बोली दाता, वेब साइट पर हो आनलाईन निर्धारित ईएमडी जमा करवायेगा एवं भाग लेगा। असफल बोली दाताओं की ईएमडी ऑनलाईन ही लोटा दी जायेगी तथा सफल बोली दाता की बोली सक्षम के अनुमोदन के बाद स्वीकृत की जायेगी

इस संबंध में ICICI बैक द्वारा Agreement Proposal प्रस्तुत किया गया है जिसमें चार पक्ष है।

1. ICICI Bank Limited :- इस बैक द्वारा टेंडर/नीलामी संबंधी Bidder's fees, EMD एवं अन्य राशि का संग्रहण किया गया।
2. E-Procurement Tech. Ltd :- इस फर्म द्वारा E-auction softwere संबंधी सेवाएँ प्रदान की जाएगी। इनकी सेवाओं का भुगतान ICICI Bank द्वारा देय है।
3. जोधपुर विकास प्राधिकरण की E-auction सुविधा का उपयोग करेगा।
4. Tech Process Payment Services Ltd :- इस फर्म द्वारा electronic bill payment संबंधी softwere एवं सेवाएँ दी जाएगी। इनकी सेवाए का भुगतान ICICI Bank वहन करेगी।

अतः ICICI Bank द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (उक्त बैक के साथ इस संबंध में) MOU इस शर्त के साथ किया जाना उचित होगा कि बैक का कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर एक महीने का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ई–ऑक्सन के साथ साथ खुली नीलामी के माध्यम से भूखण्डों की बिकी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: प्राधिकरण में 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त संविदा सेवा पर कार्यरत् कार्मिकों की सेवावृद्धि बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 व 31 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या 5 (3) के अनुमोदन के अनुसार प्राधिकरण में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिकों जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक प्राधिकरण के कार्य की आवश्यकता के मध्यनजर बढ़ाई गई है। निम्न सेवानिवृत कार्मिकों को संविदा सेवा में कार्यावधि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक बढ़ाये जाने के अनुमोदन बाबत् कार्यकारी समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

कं. सं.	सेवानिवृत कार्मिकों का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि
1–	श्री आनन्दी लाल जोशी	कार्यालय सहायक	8 नवम्बर, 1947	8 नवम्बर, 2012
2–	श्री भागीरथ सूर्यवंशी	वरिष्ठ लिपिक	18 दिसम्बर, 1947	18 दिसम्बर, 2012

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक अन्य कार्मिक श्री राधाकिशन परिहार, वरिष्ठ लिपिक जो प्राधिकरण में सेवानिवृति उपरान्त संविदा पर कार्यरत् है, की आयु भी 65 वर्ष से अधिक हो गयी है। जिन्हें प्राधिकरण सेवा में रखा जाना प्रस्तावित है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री आनन्दी लाल जोशी, कार्यालय सहायक, श्री भागीरथ सूर्यवंशी, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री राधाकिशन परिहार, वरिष्ठ लिपिक को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्ति हेतु संविदा सेवा की कार्यावधि प्रस्तावानुसार 31 मार्च, 2016 तक बढायी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 14 :: सेवानिवृत तहसीलदार व पटवारी संविदा पर नियुक्त करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में कार्य की अधिकता को देखते हुए 1 सेवानिवृत तहसीलदार व 2 सेवानिवृत पटवारी/राजस्व निरीक्षक प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्त किये जाने की प्रस्तावना है। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार 1 सेवानिवृत तहसीलदार एवं 2 सेवानिवृत पटवारी/राजस्व निरीक्षक प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में दोहरे भूखण्ड आवंटन को अन्यत्र के सबंध में।

तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा लॉटरी / निलामी द्वारा मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में सूची अनुसार उक्त भुखण्ड में राशि जमा कर कुछ भुखण्डों में लीजडीड जारी कि गई तथा उन्ही भुखण्डों को 2008 में पुनः लॉटरी द्वारा आवंटीत कर दिये गये उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधिन है।

मूल आवंटन

क्र.स.	मूल आवंटी का नाम	आवंटन दिनांक	भूखण्ड संख्या	आवंटन का पंजिका पर उपलब्ध विवरण	क्षैत्रफल	राशी जमा है अथवा नही	पट्टा जारी है अथवा नही
1.	श्रीमती ओमकुमारी पत्नी श्री ओमप्रकाश	25.05.05	09	नीलामी द्वारा	40 X 89	हा	जारी
2.	श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री शेषकरण	04.03.99	238	लॉटरी द्वारा	30 x 60	हा	नही
3.	श्रीमती प्रतिमा चौहान पत्नी श्री हनवन्त कुमार	04.03.99	242	लॉटरी द्वारा	30 X 60	हा	जारी
4.	श्रीमती केशरदेवी पत्नी श्री बुधाराम	25.04.08	153	लॉटरी द्वारा	40 X 60	हा	नही
5.	श्री मोहम्मद यूसूफ पुत्र श्री इस्माईल	04.03.99	239	लॉटरी द्वारा	30 X 60	हा	जारी
6.	सुश्री रमावती पुत्री श्री मोहनपुरी	04.03.99	241	लॉटरी द्वारा	30 X 60	हा	जारी
7.	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री सत्यनारायण	04.03.99	21	लॉटरी द्वारा	30 X 60	हा	जारी

पुनः आवंटन

क्र. स.	आवंटी का नाम	आवंटन दिनांक	भूखण्ड संख्या	क्षैत्रफल	आवंटन का पंजिका पर उपलब्ध विवरण	राशी जमा	पट्टा जारी है अथवा नही
1.	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रीराम	25.04.08	09	30 X 60	लॉटरी द्वारा	हा	जारी
2.	श्री रामनिवास पुत्र श्री बिरमाराम	25.04.08	238	30 x 60	लॉटरी द्वारा	हा	नही
3.	श्री रामदेव पुत्र श्री बाबूलाल	25.04.08	242	30 X 60	लॉटरी द्वारा	हा	नही
4.	श्री पदम पुत्र श्री महादेव	25.04.08	153	30 X 60	लॉटरी द्वार	हा	नही
5.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री हाथीराम	25.04.08	239	30 X 60	लॉटरी द्वारा	हा	नही
6.	श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री ताराचंद	25.04.08	241	30 X 60	लॉटरी द्वारा	हा	नही
7.	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री देवीलाल	25.04.08	21	30 X 60	लॉटरी द्वारा	हा	जारी

अतः उक्त प्रकरण दोहरे आवंटन होने के कारण अन्यत्र भुखण्ड देने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी की समिति में प्रकरण विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त मूल आवंटन की सारणी में कम संख्या 4 पर वर्णित श्रीमती केशरदेवी पत्नि श्री बुधाराम को लीज डीड जारी करने तथा शेष समस्त प्रकरणों में आवेदकों से विकल्प मांगे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि उपायुक्त जोन संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करें जिनके द्वारा यह त्रुटि की गयी जिससे कि भूखण्ड का दोहरा आवंटन हुआ है।

प्रस्ताव संख्या 16 :: विवेक विहार आवासीय योजना में भुखण्ड संख्या एन 773 में आवंटन पत्र जारी होने के बाद 400 दिवस बाद राशि करने के संबंध में

विवेक विहार योजना में भुखण्ड संख्या एन 773 श्रीमती ममता मीना को आवंटन दिनांक 09.09.2011 को हुआ है तथा कार्यालय द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया आवंटी द्वारा भुखण्ड की राशि 10.07.2013 को जमा कराई गयी जो 457 दिवस बाद जमा कराई है। आवंटी के विरूद्ध वसुल योग्य राशि 786.77 प्रतिदिन व 10 प्रतिशत शास्ती एक बार वसुली योग्य है। चुकि प्रकरण में एक वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण जोधपुर विकास

प्राधिकरण की ट्रस्ट की बैठक में आवंटन नियमित करने की शक्ति निहित है। अतः प्रकरण समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान अरबन इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 17 (5) के अनुसार नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: विवेक विहार आवासीय योजना में भुखण्ड संख्या 31 सेक्टर जे पर अतिक्रमण होने के कारण भूखण्ड अन्यत्र देने के संबंध में।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 31 सेक्टर जे में श्री सुनील मोहनोत पुत्र श्री धनपतराज मोहनोत को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन हुआ था। आवंटी द्वारा भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई। आवंटी द्वारा जब पटटे की मांग की गई। तब हल्का कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड पर मंदिर व मकान होना बताया है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में श्रीमान् सचिव महोदय, के विरूद्व अवमानना नोटिस जारी किया गया है। अतः आवंटी को अन्य भूखण्ड देने हेतु प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को समान क्षेत्रफल का भूखण्ड विवेक विहार योजना के सेक्टर "जे" में आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: विवेक विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 900 सेक्टर एन में सक्षम स्वीकृति के संबंध में।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 900 सेक्टर एन में श्री हसम खॉ पुत्र श्री गबरू खॉ को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन हुआ था। आवंटी द्वारा भूखण्ड की मूल राशि आवंटन पत्र जारी दिनांक से 383 दिन बाद मूल राशि जमा करवाई गई है। चूकि प्रकरण में मूल राशि आंवटी द्वारा 1 वर्ष बाद जमा करवाई गई है। बैठक दिनांक 30, 31 जुलाई में प्रकरण पर विचार विमर्श कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु आवंटन राशि 1 वर्ष बाद व 2 वर्ष से कम अवधि में जमा होने के कारण अवधि बढाने की शक्ति ट्रस्ट में निहित है। अतः राज्य सरकार के स्थान पर प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान अरबन इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 17 (5) के अनुसार नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: विवेक विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 253 सेक्टर आई को नियमन करने के संबंध में।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 253 सेक्टर आई में श्री खुम्माराम पुत्र श्री राजाराम को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन हुआ था। आवंटी द्वारा भूखण्ड की मूल राशि आवंटन पत्र जारी दिनांक से 390 दिन बाद मूल राशि जमा करवाई गई है। चूकि प्रकरण में मूल राशि आंवटी द्वारा 1 वर्ष बाद जमा करवाई गई है। जिसे नियमन करने का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को निहित है। अतः प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत हुआ।

है। विधिक राय के अनुसार मृतक के नाम जारी लीजडीड निरस्त क़र वारिसान् के नाम नवीन लीजडीड जारी की जानी चाहिए।

लीजडीड जारी होने के बाद किन्तु पंजीकरण से पूर्व लीजडीड धारक की मृत्यु होने के प्रकरणों में मृतक के नाम जारी लीजडीड निरस्त कर वारिसान् के नाम नवीन लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मृतक द्वारा अन्य कोई प्रलेख यथा वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया हुआ है। उस स्थिति में उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तावानुसार वारिसान के नाम नियमानुसार लीज डीड जारी की जावे तथा लीज डीड जारी करने से पूर्व इस आशय की आम सूचना का प्रकाशन भी समाचार–पत्र में करवाया जावे। इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु संबंधित उपायुक्त को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: धारा 90–बी के भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण के संबंध में।

रेकार्ड शाखा में 90 बी से पट्टा जारी होने के पश्चात् प्राप्त पत्रावलियों में पट्टा धारक अथवा नाम हस्तान्तरण धारक कार्यालय में भूखण्ड के सम्बन्ध में बैचान अनुमति का आवेदन पेश करने पर बैचान अनुमति शुल्क जमा कराने के पश्चात् एंव बैचान अनुमति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व भूखण्ड का बैचान कर दिया जाता है तो प्राय एसे प्रकरणों में नाम हस्तान्तरण का आवेदन प्राप्त होने पर क्या प्रार्थी से शास्ती/नाम हस्तान्तरण शुल्क लिया जावें अथवा नहीं एसे प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है। अतः इस संबंध में उचित निर्णयार्थ प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का विधि एवं लेखा शाखा से समुचित परीक्षण करवाने के उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: 33 केवी जीएसएस सब स्टेशन निर्माण हेतु विद्युत विभाग को भूमि आवंटन करने के संबंध में।

सहायक अभियन्ता (प. एंव स) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डोर, जोधपुर द्वारा ग्राम नारवा खीचियान् के खसरा नं. 460 की भूमि में से 02 बीघा भूमि 33 केवी जी.एस. एस सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की गयी। पटवारी (पश्चिम) से रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारवा के खसरा नं. 460 किस्म बारानी–2 रकबा 45–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरे के उत्तरी दिशा में रिंग रोड प्रस्तावित है तथ वर्तमान में रास्ता चल रहा है। उक्त खसरे के प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त ग्राम का क्षैत्र प्राधिकरण के गैर–योजना क्षैत्र में नागौर रोड एंव पुरानी नागौर रोड के मध्य स्थित है। जिसकी आवासीय आरक्षित दर 2500/–रूपये एंव वाणिज्यिक/व्यवसायिक आरक्षित दर 5000/–रूपये प्रतिवर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है। पूर्व में जारी आरक्षित दर को तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। बढोत्तरी अनुसार वाणिज्यिक दर 5,500/–रूपये प्रतिवर्गमीटर होती है। विद्युत विभाग को उपरोक्त भूमि वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन की सक्षम स्वीकृति नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

2660-95
12/3/15

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि भूमि के वर्तमान भू–उपयोग में जीएसएस सब स्टेशन निर्माण अनुज्ञेय हो तो प्रकरण राज्य सरकार को भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

12/3/15
(अज़रा परवीन)
सचिव

कमांक/आवंटन/2014/1802–5/II/2660-2695 दिनांक :: 12 मार्च, 2015

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निजी सचिव (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. ....

(अज़रा परवीन)
सचिव

2660-95

12-3-15

परिशिष्ट–1

दिनांक 11 मार्च, 2014 को सांय 4.00 बजे श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री जनार्दन शर्मा, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
2. श्री विनित बंसल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
3. श्री रामगोपाल, सहायक पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
4. श्री सुरेश व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री नैनाराम चौधरी, मैनेजर ट्राफिक, राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री पी.एस. तंवर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
7. श्री विनित गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
8. श्री पी.एस. चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, डी.डी., डिस्कॉम, जोधपुर
9. श्री आर.पी. शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री ओ.पी. पारीक, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री रेशमाराम हूडा, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री राजेन्द्रसिृंह राठौड, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री ओ.पी. बुनकर, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री केवलचन्द गहलोत, वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री प्रदीपसिंह चारण, थानाधिकारी, पुलिस थाना रातानाडा, जोधपुर
18. डॉ. ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

12/3/15